न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 18/2020

01. रामप्रसाद पुत्र रतनलाल जातिचमार निवासी मऊ तहसील मांगरोल
02. रामचरण पुत्र गोबरीलाल जाति चमार निवासी मऊ तहसील मांगरोल

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 14.02.2020 — निर्णय दिनांक : 28.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 400 खसरा नं0 1104 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1166 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1167 रकबा 2.42 है0, खसरा नं0 1169 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 873 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.11 है0 वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी क्रम नं0 01 का नाम रामप्रसाद पुत्र रतनलाल के स्थान पर रेवडिया पुत्र रतना एवं क्रम नं0 02 का नाम रामचरण पुत्र गोबरीलाल के स्थान पर रामकरण पुत्र गोबरया दर्ज हो रहा है। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं रामचरण पुत्र गोबरीलाल है। जिसको वादीगण रेवडिया पुत्र रतना के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं रामकरण पुत्र गोबरया के स्थान पर रामचरण पुत्र गोबरीलाल दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में क्रम 01 रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामचरण पुत्र गोबरीलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में क्रम 01 रेवडिया पुत्र रतना के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामकरण पुत्र गोबरया के स्थान पर रामचरण पुत्र गोबरीलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम क्रम 01 रेवडिया पुत्र रतना के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामकरण पुत्र गोबरया के स्थान पर रामचरण पुत्र गोबरीलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 14.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

स्थान पर गोबरया दर्ज कर दिया है। जबकि वादीगण का

Scanned by CamScanner

से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/21/ दिनांक 28.10.2021 के जिसके अनुसार क्रम 01 रेवडिया पुत्र रतना को रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामकरण पुत्र गोबरया को रामचरण पुत्र गोबरीलाल के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति क्रम 01 रेवडिया पुत्र रतना और रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामकरण पुत्र गोबरया और रामचरण पुत्र गोबरीलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम क्रम 01 रेवडिया पुत्र रतना के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामकरण पुत्र गोबरया के स्थान पर रामचरण पुत्र गोबरीलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व रामपाल पुत्र गोबरीलाल जाति बैरवा निवासी मऊ के आधार पर शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 400 खसरा नं0 1104 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1166 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1167 रकबा 2.42 है0, खसरा नं0 1169 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 873 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.11 है0 वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादीगण का नाम क्रम 01 रेवडिया पुत्र रतना के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र रतनलाल एवं क्रम 02 रामकरण पुत्र गोबरया के स्थान पर रामचरण पुत्र गोबरीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होगें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प मऊ मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner